प्रेषक,

संदीप कौर
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः** **दिनांकः 13 दिसम्बर, 2021**

विषयः **वित्तीय वर्ष 2021-22 में जायद मौसम हेतु विभाग में संचालित राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत लाभार्थी कृषकों को शाकभाजी मिनीकिट उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र सं0-234/आई0टी0सेल/2021-22 दिनांक 10.12.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभाग में संचालित राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत जायद मौसम हेतु प्रदेश के लाभार्थी कृषकों को शाकभाजी मिनीकिट्स भी उपलब्ध कराया जाना है। शाकभाजी मिनीकिट्स हेतु दर धनराशि रु0-200/- प्रति किट्स निर्धारित है, जिसमें 90 प्रतिशत अनुदान तथा 10 प्रतिशत कृषक अंश सम्मिलित है। अतः शाकभाजी मिनीकिट्स उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्नवत् व्यवस्था की जाती हैः-

''शासनादेश सं0-53/2021-1588/58-2021-118/2016, दिनांक 21.09.2021 में नामित संस्थाएं यथा-नेशनल सीड कारपोरेशन(एन.एस.सी.), उ0प्र0 बीज विकास निगम, उ0प्र0 राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ(हाफेड) एवं भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी संघ मर्यादित (नैफेड) से शाकभाजी मिनीकिट की व्यवस्था हेतु जनपद स्तर निम्नवत् समिति का गठन करते हुए संस्था का चयन कर क्रय की कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया हैः-

क्र.सं.	**समिति का विवरण**	
01.	जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी (सी.डी.ओ.)	-अध्यक्ष
02.	कृषि विज्ञान केन्द्र का वैज्ञानिक	-सदस्य
03.	जिला उद्यान अधिकारी	-सदस्य सचिव

उपरोक्तानुसार जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा उक्त नामित संस्थाओं से जनपद की जलवायु के अनुसार उपयुक्त प्रजातियों का शाकभाजी मिनीकिट्स नमूना (सैम्पुल) प्राप्त करेगी तथा संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये नमूने से उपयुक्त प्रजातियों का चयन करेगी। चयनित संस्था से मिनीकिट्स क्रय किया जायेगा, जिसे उपरोक्त संदर्भित शासनादेश में निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार वितरित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त इसी गठित समिति द्वारा मिनीकिट्स वितरण का भौतिक सत्यापन भी किया जायेगा।''

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(संदीप कौर)
विशेष सचिव।

संख्या- /2021-2552(1)/58-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, उद्यान विभाग, उ0प्र0शासन।
2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0शासन।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0शासन।
6. निदेशक, कृषि विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।द्वारा-निदेशक।
8. समस्त मण्डलीय उप निदेशक उद्यान, उ0प्र0।द्वारा-निदेशक।
9. समस्त जनपदीय उद्यान अधिकारी, उ0प्र0।द्वारा-निदेशक।
10. समस्त कृषि विज्ञान केन्द्र, उ0प्र0। द्वारा-निदेशक।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार राय)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in